राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
E-mail: jdacad1960@gmail.com Ph. 0141-2706550

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

क्रमांकः—एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218 दिनांकः—यथा हस्ताक्षर

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— प्रवेश नीति सत्र 2025—26 के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता प्रदान करने के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध/सेमेस्टर—प्रथम) में न्यूनतम अनुमत विद्यार्थियों की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये, किन्तु न्यूनतम अनुमत विद्यार्थियों की संख्या से कम विद्यार्थियों ने ऑनलाईन/ऑफलाईन फीस जमा करवाई हो, **ऐसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नीति सत्र 2025—26 के बिन्दु संख्या 3.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए न्यूनतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को 05 किया जाता है। जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि पूर्ण हो गई हैं उनसे संबंधित महाविद्यालयों पर यह लागू नहीं होगा।**

प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 05 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा का शिक्षण कार्य वर्तमान सत्र 2025—26 के लिए स्थगित रहेगा तथा 05 से कम प्रविष्ट प्रवेशार्थी रहने पर विद्यार्थियों द्वारा अनुरोध करने पर उसी महाविद्यालय के अन्य पाठयक्रम में या उसी पाठयक्रम में अन्यत्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त हों तो स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा उनका शुल्क लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

क्रमांकः—एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।.
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन प्रवेश, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2025.11.19 20:09:39 IST
Reason: Approved